न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1637/दो/15 विरूध्द आदेश दिनांक 25/6/2007 पारित व्दारा तहसीलदार वृत्त देवतालाब, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 81/ए 12/06-07

नन्द किशोर मिश्र पिता श्री सत्यनारायण ब्रा0 उम्र 62 साल
निवासी ग्राम शुकुलगंवा, थाना लौर तहसील मउगंज जिला रीवा म0 प्र0

- आवेदक

- विरूध्द -

गया सिंह तनय हीरमंगल सिंह उम्र 52 साल
निवासी ग्राम डिघवार, थाना लौर तहसील मउगंज जिला रीवा म0 प्र0

- अनावेदक

श्री एम0 पी0 यादव, अभिभाषक, आवेदक

आ दे श

(आज दिनांक 10/03/16 को पारित)

निगरानी 1637-दो/15

१. यह निगरानी प्र क्र 1637/दो/15 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा की धारा ५० के अंतर्गत तहसीलदार वृत्त देवतालाब, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 81/ए 12/06-07 में पारित आदेश दि 25-6-07 के विरुद्ध संस्थित हुआ है.
मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया.

तर्क में यह कहा गया कि आवेदक ने स नं ६७/१ का अंश भाग क्रय किया था जिसकी चौहद्दी विक्रय पत्र के अनुसार थी, किन्तु अनावेदक द्वारा धोखे से उनकी भूमि पर सीमांकन कराया गया जिससे क्षुब्ध होकर वे रा मं आए हैं.

निगरानी मेमो में लिखे अनुसार रा मं में निगरानी तहसीलदार वृत्त देव्तालाब, तहसील मऊगंज के निर्णय दि २५-६-०७ के विरुद्ध प्रस्तुत है, किन्तु न तो मेमो के साथ और न ही तर्क के दौरान आवेदक की ओर से इस निर्णय की प्रमाणित प्रति इस रा मं न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराई गई है. मेमो के साथ उन्होंने अपर कलेक्टर, रीवा के प्र क्र ९/अ१२/१४-१५ में पारित आदेश दि १५-५-१५ की प्रति संलग्न की है जिसमे तहसीलदार के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी आवेदन को उन्होंने क्षेत्राधिकार के अभाव में वापस कर दिया गया है. अपर कलेक्टर के उक्त आदेश की प्रति के अतिरिक्त आवेदक ने एक विक्रय पत्र की प्रति उपलब्ध कराई है जिससे उसने स नं ६७/१ के ३.२०४ आरे रकबे में से ०.८०९ आरे रकबा गया सिंह (अनावेदक) से क्रय किया है और जिसमे क्रयशुदा भूमि की चतुर्सीमा लिखि है. साथ में दिए गए खसरा वर्स्श २०१४-१५ में स नं ६७/३ रकबा

०.८०९ है आवेदक के नाम तथा स नं ६७/१ शा.नं. ६७/२ रकबा २.३९५ है गया सिंह के नाम लिखा है. [२.३९५ + ०.८०९ = ३.२०४].

निगरानी मेमो में लिखे अनुसार आवेदक वर्ष २०१३ तक हरयाणा के यमुना नगर में नौकरी करता रहा, उसके बाद उसने वापस आकर उस भूमि पर जिसे वह अपनी समझता था मसूर की फसल बोई, और जब उसे वह काटने गया तो दि १७-३-१५ को अनावेदक ने उसे ऐसा करने से यह कहकर रोका कि उसकी भूमि वहां नहीं दूसरी तरफ है. इसके बाद आवेदक ने नक्षा तरमीम और सीमांकन आदेश की प्रति प्राप्त करने की कोशिश की किन्तु नकलें प्राप्त करने में वह असफल रहा. तब उसने अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी की जिसे अपर कलेक्टर ने क्षेत्राधिकार का अभाव पाते हुए वापस कर दिया.

प्रकरण में विचारोपरांत मैं यह पाता हूँ कि आवेदक का परिवेद मूलतः इस कारण है क्योंकि उसके अनुसार उसे विक्रय पत्र में लिखी चौहद्दियों के अनुरूप स नं ६७ का भू-अंश नहीं मौके पर प्राप्त नहीं है. सीमांकन उसके उपरांत की कार्यवाही से सम्बंधित है.

प्रकरण में सीमांकन आदेश की प्रति या तरमीम की प्रति संलग्न नहीं हो पाने के कारण, जो आवेदक द्वारा निगरानी मेमो में लिखे अनुसार प्रयास के बावजूद उसको (आवेदक को) नहीं मिल पाई हैं, इस दशा में रा मं में प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है, जिस वजह से उसे ग्राह्य नहीं किया जा सकता.

किन्तु चूँकि आवेदक ने शपथपत्र के साथ निगरानी मेमो में यह लिखा है कि प्रयास के बावजूद उसे तरमीम और सीमांकन आदेश की प्रतियाँ नहीं मिल पाई हैं, चूँकि संहिता (MPLRC) के अनुसार तरमीम में संशोधन करने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर का है, और चूँकि कलेक्टर जिले के राजस्व अभिलेखों और नक्शों के संरक्षक (custodian) हैं, अतः न्यायहित में मैं कलेक्टर रीवा को यह निर्देश देता हूँ कि वे आवेदक नंदकिशोर एवं अनावेदक गया सिंह को साथ साथ अपने समक्ष सुनवाई और पक्ष समर्थन का अवसर दें, और यदि आवेदक को विषयांकित तरमीम और सीमांकन आदेशों की प्रतियाँ नहीं भी मिल पाई हैं तो वे ग्राम डिघवार, रा नि मं देवतलाब, तहसील मऊगंज के स नं ६७ के बटांकों की नक़्शे पर तरमीम की स्थिति स्वयं जिले के राजस्व अभिलेखों से खोल कर देखें, और उसमे यह देखें कि क्या तरमीम विषयांकित विक्रय पत्र में लिखि चौहद्दियों के अनुसार तथा पक्षकारों द्वारा किये जाने वाले पक्ष समर्थन के आधार पर उनके समक्ष आने वाले तथ्यों के अनुसार विधिवत है या नहीं. यदि वे उक्त तरमीम को विक्रय पत्र में लिखि चौहद्दियों तथा पक्षकारों द्वारा किये जाने वाले पक्ष समर्थन के प्रकाश में विधिवत नहीं पाते हैं तो, वे बोलते स्वरुप के स्व-स्पष्ट आदेश के माध्यम से तरमीम का संशोधन करके उसे सही करें. यदि पहले से स नं ६७ के बटांकों की तरमीम नक़्शे में विद्यमान नहीं हो तो विक्रय पत्र में लिखि चौहद्दियों तथा पक्षकारों द्वारा किये जाने वाले पक्ष समर्थन के प्रकाश में वे उक्त बटांकों की सही सही तरमीम नक़्शे पर विधिवत कायम करें/ कराएं.

निगरानी 1637-दो/15

जब उपरोक्तानुसार स नं ६७ के बटांकों की तरमीम नक़्शे पर स्पष्ट और सही तरीके से कायम हो जाए, तो उसके बाद वे यह देखें कि उसके प्रकाश में अनावेदक के स नं ६७ के भू-अंश का सीमांकन यदि हुआ है तो, क्या वह सही तरमीम के आधार पर हुआ है या नहीं. यदि हाँ, तो उसे यथावत छोड़ दें, यदि नहीं, तो पूर्व में अनावेदक के स नं ६७ के उसके कथित भू-अंश के सीमांकन को निरस्त मानते हुए, वे सम्बंधित तहसीलदार को सही तरमीम के अनुसार सीमांकन करने के निर्देश देकर सही सही सीमांकन सुनिश्चित कराएं.

इन्ही निर्देशों के साथ यह प्रकरण रा मं से समाप्त किया जाता है.

आदेश पारित.

पक्षकार एवं कलेक्टर, रीवा सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा0द0 हो।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर